न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/ 2023
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2023/57

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्री कानजी पिता श्री दलहेंग निवासी बस्सी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.) के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान्

1/1 श्रीमती रंगा पत्नी कानजी
1/2 श्री बारन पिता कानजी
1/3 श्री बन्सुलाल निनामा पिता कानजी निवासीयान् बस्सी तहसील कुशलगढ जिल बांसवाडा।

2. श्री मांगीलाल पिता श्री दलहेंग
3. श्री रूमाल पिता श्री दलहेंग
4. श्री दुलिया पिता श्री लालजी
5. श्री हुरू पिता श्री लालजी निवासीयान् बस्सी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री लिमजी पिता श्री जालु निवासी बस्सी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्रीमती जीवणी पत्नी लिमजी निवासी बस्सी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.)

उपस्थित

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित, एडवोकेट प्रार्थीगण

श्री समर पण्ड्या, एड्वोकेट अप्रार्थी सं. 1, श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

दिनांक :– 28–04–2026

प्रस्तुत मामले बकौल अपीलांट्स संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 544 रकबा 1.40 एकड (रकबा 0.5666 हैक्टेयर) लागन 0.40 रुपया वाके ग्राम बस्सी,

अति. जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

पटवारी क्षैत्र मोहकमपुरा, तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा स्थित भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व नियम 101 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को दिनांक 21.10.2005 को कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि कृषि योग्य नही होकर पशुओ के लिये चरागाह के लिए उपयोग मे लाई जाती है तथा मौके पर किसी प्रकार की काश्त आज तक नही हुई है। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने न केवल पेपर एलोटमेंट अपने नाम दर्ज करवा लिया, जो उक्त आवंटन कपटपूर्वक दुर्योपदशन द्वारा नियमो के विरुद्ध अपने हक में करवाया है। इस आवंटन से व्यथित होकर प्रार्थी ने आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 18–09–2023 को श्री समर पण्ड्या अभिभाषक का वकील पत्र पेश हुआ एवं प्रार्थी सं. 1 की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी के अधिवक्ता ने कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र एवं अभिभाषक पत्र पेश किया। दिनांक 121.12.2023 को अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता की ओर से कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की गई। कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने संशोधित शिर्षक पेश किया जिसे रकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 11–03–2024 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि उक्त प्रकरण प्रार्थीयान् का वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई हित, लाभ व अधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र में प्रार्थीयान को पेश होने व सुने जाने का (Locus Stading) नही है। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 544 रकबा 1.40 एकड (रकबा 0.5666 हैक्टेयर) लगान 0.40 रुपया वाके ग्राम बस्सी, पटवार क्षैत्र मोहकमपुरा तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा में स्थित भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व नियम 101 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को दिनांक 21.10.2005 को नियमानुसार हुआ है। अप्रार्थीगण के बाप–दादाओ के समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे थे तथा उक्त भूमि काबिल काश्त [illegible] नियमानुसार आवंटन हुआ है। चुंकि उक्त प्रकरण में आवंटन हुए 20 वर्ष अधिक समय हो गया [illegible] अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही ग[illegible]के होने से प्रार्थीगण तथ्यो से परिचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 30 वर्षो से अधिक समय बाद प्रस्तुत होने से म्याद बाहर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:30 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज होकर निरन्तर फसल प्राप्त कर रहे थे तथा वादग्रस्त भूमि कृषि योग्य होने से विधि अनुसार आवंटन हुआ है तथा अप्रार्थीगण ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते आ रहे है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

दिनांक 24.03.2025 को अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार कुशलगढ का जवाब पेश हुआ जिसमें मुख्य रुप से यह उल्लेखित किया गया कि ग्राम बस्सी पटवार मण्डल मोहकमपुरा सर्वे नं. 544 रकबा 0.5666 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत् 2074–77 हाल खाता सं. 326 नया, 261 पुराना किस्म मगरी लिमजी पुत्र जालु हिस्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा छोटी सरवन व जिवणी पत्नि लिमजी 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा छोटी सरवन दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के आदेश क्रमांक 919 दिनांक 21.10.2005 तह/आदेश क्रमांक 1611–12 दिनांक 24.10.2005 द्वारा 24.11.2005 से आवंटन स्वीकृत किया तथा नामान्तरकरण सं. 728 के तहत तहसील के आदेश क्रमांक/ राज/ 09/ 991 की पालना में दिनांक 19.06.2010 स्वीकृत कर खातेदारो को खातेदारी अधिकार दिया गया।

दिनांक 30.03.2026 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस एवं दिनांक 13.04.2026 को मजिद बहस सुनी गई सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 544 रकबा 1.40 एकड (रकबा 0.5666 हैक्टेयर) वाके ग्राम बस्सी पटवार क्षैत्र मोहकम पुरा तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा स्थित भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व नियम 101 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दिनांक 21.10.2005 को कर दिया । जबकि वादग्रस्त भूमि कृषि योग्य नही होकर पशुओ के चरागाह के लिये उपयोग में लाई जाती है। मौके पर किसी प्रकार की काश्त आज तक नही हुई है। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने केवल पेपर एलोटमेन्ट अपने नाम करवा लिया, जो उक्त आवंटन कपटपूर्वक नियमो के विरुद्ध अपने हक में करवाया है। उक्त भूमि के आवंटन हेतु अप्रार्थी के आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की दिनांक व स्थान अंकित नही है और उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र के आधार पर इन बिन्दुओ पर कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:30 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी के स्वयं या उसके पिता के खाते में कुल [illegible] भूमि है – 2.05 एकड
2. रिपोर्ट की चरण सं. 3 – प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजी के लिए, कब्रिस्तान या अन्य विकास कार्य के लिए मांग किए जाने की संभावना तो नही – कोई रिपोर्ट नही।

[illegible]
अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

3. रिपोर्ट की चरण सं. 7 आवंटन भूमि पर काई भी वृक्ष नही है – कोई रिपोर्ट नही

4. रिपोर्ट की चरण सं. 8 आवंटन भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है – कोई रिपोर्ट नही

5. रिपोर्ट की चरण सं. 9 मौके पर कोई विवाद नही है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की नही है और न ही आरक्षित हेतु प्रस्तावित है – कोई रिपोर्ट नही

पटवारी रिपोर्ट में उल्लेखित विभिन्न चरणो में मिथ्या रुप से तथ्य अंकित किए हैं अन्य चरणो में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 भूमिहीन कृषक नही हैं। उक्त भूमि कभी भी काश्त नही हुई है जिसकी पुष्टि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मौके के फोटो से होती है। अप्रार्थीगण का आज तक कभी कब्जा नही रहा है। उक्त रिपोर्ट में भी अप्रार्थीगण के कब्जा होने का उल्लेख नही है।

अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने के पूर्व आवंटी के द्वारा नियम 7 के तहत आवंटन की पात्रता रखने वाले व्यक्तियो से आवेदन आमंत्रित नही किये जो उक्त आवेदन का प्रारुप धारा 61 भूराजस्व अधिनियम में दी गई रीति के अनुसार प्रारुप 2 होता है तथा आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व आवंटी अधिकारी द्वारा उद्‌घोषणा जारी नही की गई जो 15 दिन की अवधि के लिये ऐसी उद्‌घोषणा जारी होती है जो उस उद्‌घोषणा की तारीक से 15 दिन में आवेदन प्रस्तुत करना होता है परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा ऐसी किसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण नही किया गया है। यदि ऐसा किया होता तो प्रार्थीगण को आवेदन प्रस्तुत करने का मौका मिल जाता। नियम 10 अनुसार आवंटन की पात्रता रखने वाले आवेदनो की नियमानुसार जांच होती है, परन्तु उक्त कृषि भूमि के आवंटन में पात्रता की कोई जांच नही की गई है। जो नियम 10 की अवहेलना है।

उक्त आवंटन में नियम 13 के तहत आवंटन सलाहकार समिति का गठन नही किया गया और न ही उक्त नियम के अन्तर्गत समिति के सदस्य उपस्थित रहे केवल बैठक द्वारा उक्त आवंटन जारी किया गया है जो नियम 13 की अवहेलना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भूराजस्व अधिनियम [illegible]6 पर म्याद बिन्दु लागु नही होता है। उक्त प्रार्थना पत्र व्यथित व्यक्ति द्वारा कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थीगणो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमावे एवं अप्रार्थीगणो के आवंटन दिनांक 21.10.2005 निरस्त फमावे।

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीयान् का वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई हित, लाभ व अधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र में प्रार्थीयान को पेश होने व सुने जाने का (Locus Stading) नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 544 रकबा 1.40 एकड (रकबा 0.5666 हैक्टेयर) लगान 0.40 रुपया वाके ग्राम बस्सी, पटवार क्षैत्र मोहकमपुरा तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा में स्थित भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व नियम 101 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को दिनांक 21.10.2005 को नियमानुसार हुआ है। अप्रार्थीगण के बाप–दादाओ के समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे थे तथा उक्त भूमि काबिल काश्त होकर नियमानुसार आवंटन हुआ है।उक्त प्रकरण में आवंटन हुए 20 वर्ष अधिक समय हो गया है तथा अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही गांव के होने से प्रार्थीगण तथ्यो से परिचित है।

प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 20 वर्षो से अधिक समय बाद प्रस्तुत होने से म्याद बाहर है। धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विलम्ब क्षम्य करने प्रतिदिन हुई देरी का कारण स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। अतः म्याद बिन्दु पर ही प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे। म्याद बिन्दु पर अपनी बहस के समर्थन में अप्रार्थीण सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेन्च) का न्यायिक दृष्टांत (2016) AIRCCF 1094: (2016) 2 WCL 96 पेश किया।

राजकीय अधिवक्ता ने अप्रार्थी सं. 3 की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के आदेश क्रमांक 919 दिनांक 21.10.2005 तह/आदेश क्रमांक 1611–12 दिनांक 24.10.2005 द्वारा 24.11.2005 से नियमानुसार आवंटन स्वीकृत किया तथा नामान्तरकरण सं. 728 के तहत तहसील के आदेश क्रमांक/ राज/ 09/ 991 की पालना में दिनांक 19.06.2010 स्वीकृत कर खातेदारो को खातेदारी अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:30 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षीय बहस पर सुनी, किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अनुसार यदि आवंटी ने धोखा देकर/कपटपूर्वक एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन कराया हो तो उसे निरस्त किया जा सकता

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

है। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि आवंटी ने ऐसा किया हो। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है एवं आवंटन गलत तथ्यो के आधार पर कराया हो ऐसा प्रमाणित नही होने के कारण अब आवंटन को निरस्त किया जाना हम उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त तथ्यो की रोशनी मे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भूराजस्व भूमि हेतु भू–आवंटन नियम 1970 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–04–2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:30 IST
Reason: SelfAttested